

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-232/2024 दिनांक 19.08.2024)

दिनांक-19.08.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अन्तर्राज्यीय पशु तस्करी गैंग का पर्दाफाश , मैजिक वाहन से वध हेतु ले जायी जा रही 04 राशि गोवंशियों पशुओं की बरामदगी करते हुए 03 शातिर पशु तस्करों को अवैध शस्त्र के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.08.2024 को एनएच-28 के पास मझला नाला ढलान से 20 कदम दूर कूडा घर के पास से थाना कोतवली हाटा, थाना कप्तानगंज व साईबर थाने की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 645/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर से संबंधित 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 04 राशि गोवंशी पशु, अपराध में प्रयुक्त दो अदद मैजिक वाहन, अपराध में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल फोन, एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर, 06 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर, अपराध व पशु क्रूरता हेतु गोवंशो को काटने का उपकरण तथा अपराध से अर्जित 5000/- रुपये नगद की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका-

उपरोक्त अन्तर्राज्यीय पशु तस्करी गैंग का लीडर इब्राहिम अंसारी है। जो अपने गैंग के साथियो मुन्ना व विशाल के साथ मिलकर जनपद कुशीनगर के भिन्न-भिन्न सीमावर्ती जनपदों से गोवंशो को चोरी/इकठ्ठा कर उक्त मैजिक वाहनों से ट्रांसपोर्ट कर तस्करी कर मैजिक वाहन में लादकर बिहार राज्य में ले जाकर अपने अन्य संपर्की पशु तस्करों के साथ क्रूरता व निर्मम तरीके से अपने पास मौजूद उपकरणों की सहायता से काटकर मांस को बेचते है तथा उक्त अपराधिक कृत्य से अर्जित अवैध धन को आपस में बाट लेते है। तीनों अभियुक्तगणों से पूछताछ व उनके मोबाइलों से मिले डाटा के आधार पर अन्य पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग पुलिस टीमों बनाकर दबिश दी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग/अनावरित अभियोग-

मु0अ0सं0 645/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. इब्राहिम अंसारी पुत्र इद्रीश सा0- गडहिया मोहन थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
2. मुन्ना कुमार गुप्ता पुत्र रामप्रवेश गुप्ता सा- उसहरी थाना बरियारपुर जनपद देवरिया

3. विशाल प्रसाद पुत्र अनिल प्रसाद सा0- महुआ पाटनधार थाना बरियारपुर जनपद देवरिया

बरामदगी- (कुल कीमत लगभग 15,50,000/- रु0)

1-04 राशि गोवंशी पशु

2-अपराध में प्रयुक्त दो अदद मैजिक वाहन टाटा इन्ट्रा V-10 रंग सफेद की (UP52AT2817) व टाटा ACE LX (UP 52 T 7434) सफेद रंग की (वाहनों की कीमत लगभग 15 लाख रुपये/-)

3-अपराध में प्रयुक्त दो अदद मोबाइल फोन (वन प्लस व रेडमी) (कीमत लगभग 40,000/- रु0)

4-एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर

5-06 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर

6-अपराध व पशु क्रूरता हेतु गोवंशो को काटने हेतु एक अदद बांका लोहे का व एक अदद ठीहा लकड़ी का व एक अदद रस्सी

7-अपराध से अर्जित 5,000/- रुपये नगद

1. गैंग लीडर इब्राहिम पुत्र इद्रीश सा0- गडहिया मोहन थाना तरया सूजान जनपद कुशीनगर का अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 149/1992 धारा 461/333 भादवि थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

2-मु0अ0स0 52/1994 धारा 399/402 भादवि थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

3-मु0अ0स0 54/1994 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

4-मु0अ0स0 148/1996 धारा 395/397 भादवि थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

5-मु0अ0स0 133/1997 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

6- मु0अ0स0 11/1998 धारा 110 जी थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

7-मु0अ0स0 22/2000 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

8-मु0अ0स0 233/2000 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

9-मु0अ0स0 1029/2015 धारा 147/148/323/504/506 भादवि थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

10-मु0अ0स0 645/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

2. अभियुक्त मुन्ना कुमार गुप्ता पुत्र रामप्रवेश गुप्ता सा0- उसहरी थाना बरियारपुर जनपद देवरिया का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 645/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

3. अभियुक्त विशाल प्रसाद पुत्र अनिल प्रसाद सा0- महुआ पाटनधार थाना बरियारपुर जनपद देवरिया का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 645/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राज प्रकाश सिंह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर मय टीम
2. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पंत साइबर सेल जनपद कुशीनगर मय टीम
3. निरीक्षक श्री अमित शर्मा साइबर सेल जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 श्री श्रीप्रकाश राय साइबर सेल जनपद कुशीनगर
5. थानाध्यक्ष श्री राजकुमार बरवार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर मय टीम

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा हिन्दू युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पीड़िता द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 435/2024 धारा 376/504 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर सम्बन्धित हिन्दू युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त नईम पुत्र स्व0 आलमगीर सा0 सिधुआ स्थान थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर जिसके विरुद्ध पूर्व मे एनबीडब्लू व 82 सीआरपीसी की नोटिस जारी है को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 435/2024 धारा 376/504 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

नईम पुत्र स्व0 आलमगीर साकिन सिधुआ स्थान थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय चौकी प्रभारी सिधुआ थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 विवेक कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी मिश्रौली बाजार थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का0 मनोज यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
5. का0 हरिराम यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

नोट- पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सन्तोष कुमार मिश्रा द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000/- रुपये का पुरस्कार दिया गया।

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 23नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-02वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-44,व्यक्ति-143
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
- 4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-27)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर